

**विधि साहित्य प्रकाशन**

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

....

विधि के क्षेत्र में हिंदी में वर्ष 2019 के दौरान मूल रूप से हिंदी में लिखित/प्रकाशित विधि (कानून) की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए आमंत्रण ।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रत्येक वर्ष विधि की मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई या प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों पर (मैनुअल और ऐफ़ेसर को छोड़कर) पुरस्कार दिए जाते हैं । वर्ष 2019 में हिंदी भाषा में लिखी गई (अनुदित नहीं) विधि पुस्तकों की पांडुलिपियां या प्रकाशित पुस्तकें (जिनमें वाद-सूची, ग्रंथ सूची आदि हो) आमंत्रित की जाती हैं । प्रकाशित पुस्तकों की दशा में छह प्रतियां तथा पांडुलिपि की दशा में तीन टंकित प्रतियां विहित प्रवेश पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक माह के भीतर या 31 अगस्त, 2020 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा । विहित प्रवेश पत्र को वेबसाइट [www.lawmin.nic.in](http://www.lawmin.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक),

विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग),

विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001

टेलीफोन नं. 011-23387589, 23383248, 23389001

फैक्स 011 - 23387589

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधायी विभाग  
विधि साहित्य प्रकाशन

फोन - 011-23387589  
भारतीय विधि रांथन भवन,  
भगवान दास रोड,  
नई दिल्ली-110001.

प्ररूप

कलेंडर वर्ष, ..... में हिन्दी भाषा में लिखी गई/प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए प्रवेश पत्र।

प्रवेश पत्र निर्धारित अंतिम तारीख ..... तक पुस्तक की प्रतियों के साथ भेजना अनिवार्य है प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अलग-अलग पत्र भरा जाना चाहिए। यदि पुस्तक प्रकाशित है तो उसकी छह प्रतियां और यदि पुस्तक पांडुलिपि के रूप में है तो उसकी तीन प्रतियां भेजी जानी चाहिए। पांडुलिपि/पुस्तक की प्रतियां आवेदनकर्ता को अपने खुर्च पर भेजनी होगी, जिन्हें किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किए गए पत्र-व्यवहार का कोई उत्तर भी नहीं दिया जाएगा।

1. पुस्तक का शीर्षक : \_\_\_\_\_
2. विषय : \_\_\_\_\_
3. लेखक का नाम और पूरा पता  
(टेलीफोन नं. राहित) : \_\_\_\_\_
4. प्रकाशक का नाम और पूरा पता  
(टेलीफोन नं. राहित) : \_\_\_\_\_
5. पुस्तक का मूल्य (यदि प्रकाशित है) : \_\_\_\_\_
6. प्रकाशन वर्ष : \_\_\_\_\_
7. यदि अप्रकाशित है तो किस वर्ष में लिखी गई : \_\_\_\_\_
8. क्या यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या साज्य सरकार द्वारा सहायता पाने वाले किसी संरक्षण या संगठन द्वारा प्रायोजित किसी रकीम के अधीन या उसके साथ किए गए करार के अनुसारण में लिखी गई/प्रकाशित की गई है : \_\_\_\_\_
9. संस्करण - प्रथम/द्वितीय/संशोधित/परिवर्धित : \_\_\_\_\_
10. क्या इससे पूर्व भी किसी वर्ष की प्रतियोगिता में  
(क) यह पुस्तक या इसका कोई अन्य संस्करण प्रविष्ट किया गया था ?  
(ख) यदि हां, तो किस वर्ष में : \_\_\_\_\_

- (ग) पूर्व संरक्षण की पृष्ठ संख्या : \_\_\_\_\_
- (घ) क्या पुरस्कार मिला : \_\_\_\_\_
- (कृपया पूर्व संरक्षण की एक प्रति साथ भेजें)
11. क्या यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठों में प्रयुक्त धाराओं और अंशों को यथावत उद्धृत किया गया है तथा उनमें प्रयुक्त हिन्दी विधि शब्दों का प्रयोग किया गया है ?  
\_\_\_\_\_
12. क्या राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित “विधि शब्दावली” में दिए गए विधिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में तदरूप या समरूप पदों के लिए क्या गया है ?  
\_\_\_\_\_
13. क्या निर्णयों के उद्धरण यथासंभव विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ‘उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका’, ‘उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका’ और ‘उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका’ से लिए गए हैं तथा उनका निर्देश किया गया है ?  
\_\_\_\_\_
14. इससे पूर्व किस पुस्तक पर आपको इस विभाग द्वारा पुरस्कार दिया गया है पुस्तक का नाम, विषय, पुरस्कार का वर्ष और पुरस्कार की राशि ?  
\_\_\_\_\_
15. क्या पुस्तक –  
(क) मूल रूप से लिखी गई है : \_\_\_\_\_  
(ख) किसी अन्य भाषा की पुस्तक का अनुवाद है : \_\_\_\_\_
- (ग) किसी अन्य पुस्तक का रूपान्तरण है यदि (ख) अथवा (ग) का उत्तर हाँ में हो तो पूर्ण विवरण दीजिए  
\_\_\_\_\_
16. पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार (कापी राइट) किसके पास है ?  
\_\_\_\_\_
17. निम्नलिखित विषय शाखाओं में से किस शाखा/वर्ग में आपकी पुस्तक आती है :-  
 1. विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया ।  
 2. दंड विधि, दंड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण ।  
 3. सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ।  
 4. वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि ।  
 5. पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधि ।  
\_\_\_\_\_

18. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस प्रलेप में दी गई सभी सूचना सत्य और सही हैं। इस पुस्तकगार योजना में भारत सरकार का निर्णय हमें अंतिम रूप से मान्य होगा।

प्रकाशक के हस्ताक्षर .....

लेखक के हस्ताक्षर .....

तारीख .....

तारीख .....

प्रकाशक का नाम .....  
और पता .....  
.....

लेखक का नाम .....  
और पता .....  
.....

बैंक का नाम .....

बैंक का पता .....  
खाता सं. .....  
आई.एफ.एस.सी. कोड .....  
एम.आई.सी.आर. कोड .....  
पैन कार्ड नं. .....  
आधार कार्ड नं. .....  
मोबाइल नं. .....

(यदि एक से अधिक लेखक हैं तो सह लेखकों के हस्ताक्षर और निम्न सभी जानकारियां)

सह-लेखक के हस्ताक्षर .....

तारीख .....

सह-लेखक का नाम .....  
और पता .....  
.....

बैंक का नाम .....

बैंक का पता .....  
खाता सं. .....  
आई.एफ.एस.सी. कोड .....  
एम.आई.सी.आर. कोड .....  
पैन कार्ड नं. .....  
आधार कार्ड नं. .....  
मोबाइल नं. .....